न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, अम्बेडकरनगर।

गैंगेस्टर वाद सं0–147/2020

सरकार–बनाम–शहनवाज कुरैशी आदि

सी0एन0आर0 नं0–यूपीएएन010009812020

मु0अ0सं0–28/2019
धारा–3(1)यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट
थाना–हॅसवर, अम्बेडकरनगर।

05.01.2021

पत्रावली आज प्रार्थनापत्र कागज सं0–10ब के निस्तारण हेतु नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

प्रार्थी/ बंदी खान मुबारक द्वारा प्रार्थनापत्र 10ब जरिये जेल अधीक्षक जिला कारागार ललितपुर इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह वर्तमान समय में मु0अ0सं0–28/2019 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना–हॅसवर जिला–अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है। वर्तमान में प्रशासन द्वारा उसे जिला कारागार ललितपुर में रखा गया है। प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों की सम्पत्तियों को प्रशासन द्वारा साढे तीन वर्ष पूर्व मु0अ0सं0–28/19 धारा–14(1) के तहत सीज किया जा चुका है। जिसका मुकदमा श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद और प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों की सम्पत्तियों में सरकारी ताला लगा होने के बाद पुलिस प्रशासन अम्बेडकरनगर द्वारा प्रार्थी की बहन शबाना खान की हॅसवर स्थित 20 कमरे की मार्केट को गैर कानूनी तरीके से ढहा/गिरा दिया गया। 27 सितम्बर को अम्बेडकरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी पुश्तैनी मकान को भी बिना उचित कारण बताये या नोटिस दिये बिना ही ध्वस्त कर दिया गया। अम्बेडकरनगर पुलिस कप्तान श्री आलोक प्रियदर्शी जो कि काफी वर्षो तक उ0प्र0 एस0टी0एफ0 में रहे हैं। अब एस.टी.एफ. के कुछ अधिकारियों के साथ उसको ललितपुर से नोएडा पेशी पर भेजकर रास्ते में पुलिस का हथियार छीन कर भागता दिखाकर या गैंगवार दिखाकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। जिसके तहत उसको नोएडा जिले के सेक्टर 20 थाना से एक फर्जी मुकदमें में आरोपी बनाने की तैयारी एस0टी0एफ0 द्वारा की जा रही है। उसका जीवन अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपना जेल ट्रांसफर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किसी ऐसे राज्य में करवाना चाहता है जहॉ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हो। कोरोना संक्रमण के कारण जेलो में मुलाकात लगभग 7.00 माह से बंद चल रहा है और उसे जेल में लगे

पी0सी0ओ0 का लाभ तभी मिलेगा जब उसके अधिवक्ता या परिवारीजन जिला जेल अधीक्षक ललितपुर को शपथ–पत्र देगें। उसकी न्यायालय में पेशी हरदोई जेल में रहने के दौरान वीडियो कान्फ्रेस से करायी जा रही है। उसका अपने अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी से न्यायालय के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेन्स पेशी के दौरान मात्र एक मिनट के लिए बात करना आवश्यक और अनिवार्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थनापत्र है कि पुलिस द्वारा प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों की सम्पत्तियों के नियम विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को रोकने का आदेश देने की कृपा की जाय। प्रार्थी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपना किसी अन्य राज्य में जहॉ पर भा0ज0पा0 की सरकार न हो जेल ट्रांसफर करवाने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली तिथि पर वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी (मो0नं0–9450495540) को उपस्थित रहने का आदेश देने की कृपा की जाय, जिससे प्रार्थी का जीवन सुरक्षित रह सके। यदि भविष्य में पेशी पर आने जाने के दौरान प्रार्थी के साथ कोई घटना/ दुर्घटना होती है तो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार यू0पी0 एस0टी0एफ0 के आई.जी. श्री अमिताभ यश और अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक प्रियदर्शी होगें।

प्रार्थनापत्र के संदर्भ में जिला कारागार ललितपुर से आख्या आहूत किया गया। अधीक्षक जिला कारागार ललितपुर द्वारा प्रस्तर वार इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि–धारा–1,2,3,5,7,8 व 9 कारागार से संबंधित नहीं होने का कथन करते हुए इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि–बंदी का वारण्ट–वी अ0सं0–912/17 धारा–307,427,120बी,34 भा0दं0सं0 थाना–सेक्टर 20 जिला–गौतमबुझनगर का माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गौतमबुद्धनगर से दिनांक–02.11.2020 को इस कारागार को प्राप्त हुआ है। कारागार में बंदियों को उनके परिजनों से वार्ता करने की सुविधा प्रदान करने हेतु पी0सी0ओ0 स्थापित किये गये है। बंदी द्वारा अपने परिजनों से बात करने हेतु दिये जाने वाले 02 नम्बरों की पुष्टि स्थानीय पुलिस प्रशासन से कराने के पश्चात् ही परिजनों से बात करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बंदी खान मुबारक के आचरण के कारण प्रशासनिक आधार पर अनेक कारागार से अन्य दूसरे कारागारों में स्थानान्तरित हो चुका है। दिनांक–27.09.2020 को जिला कारागार हरदोई से शासन के निर्देशानुसार स्थानान्तरित होकर इस कारागार में दाखिल कराया गया है। बंदी को इस कारागार में कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। बंदी को शासन के निर्देशानुसार

सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रार्थनापत्र के संदर्भ में थाना हॅसवर से इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का कथन असत्य है। जबकि मुकदमें में आरोप–पत्र वर्ष–2020 में लगा है। उक्त भूमि में कार्यवाही 14(1) के तहत वर्ष 2017 में की गयी थी। उक्त कार्यवाही गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया है। पेशी के दौरान उसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/ बंदी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से तीन याचनायें की गयी हैं कि पुलिस द्वारा उसके व उसके रिश्तेदार की सम्पति के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दिया जाय। न्यायालय में निर्धारित अगली तिथि पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे अपने अधिवक्ता से बात करने का अवसर दिया जाय, तथा अपने जीवन के प्रति भय का संशय प्रकट किया गया है। जहॉ तक पुलिस द्वारा प्रार्थी/ बंदी व उसके रिश्तेदारों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है। संबंधित थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में धारा–14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2017 में कार्यवाही की गयी थी। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अनैतिक आय श्रोत से संकलित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध की गयी कुर्की आदि की कार्यवाही के सम्बन्ध में उपचार प्राविधानित है। अतः कथित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस आपराधिक वाद की पत्रावली में कोई आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है। जहॉतक प्रार्थी/ बंदी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किये जाने की याचना की गयी है, तो इस सम्बन्ध में जेल प्रशासन द्वारा स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी/ बंदी को शासन के निर्देशानुसार सभी अनुमन्य सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं, तथा कारागार में बंदियों को उनके परिजनों से वार्ता करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रार्थी/ बंदी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे जेल प्रशासन द्वारा अपने परिजनों से सम्पर्क क्यों करने नहीं दिया जा रहा है। यहॉ भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी/ बंदी खान मुबारक के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हैं तथा उनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह स्वयं प्रार्थी/ बंदी के परिजनों के माध्यम से उससे सम्पर्क स्थापित कर लेगें। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी/ बंदी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय अपने अधिवक्ता से व्यक्तिगत वार्तालाप करने की अनुमति

दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। जहॉ तक आवेदक द्वारा अपने जीवन के प्रति भय का संशय प्रकट किया गया है, तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि प्रार्थी/ बंदी वर्तमान में जिला कारागार में विशेष सुरक्षा में निरूद्ध है, तथा अभियोजन की आख्या के अनुसार प्रार्थी/ बंदी को पेशी पर उपस्थित रहने के दौरान भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रार्थी/ बंदी द्वारा याचित अनुतोष न्यायालय द्वारा संधारणीय नहीं है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ बंदी खान मुबारक के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी प्रार्थी/ बंदी अथवा उसके परिजनों से सम्पर्क कर सकते हैं। तद्नुसार प्रार्थी/ बंदी खान मुबारक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0–10ब निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दिनांक–18.01.2021 को हाजिरी हेतु पेश हो।

<u>दिनांकः–05.01.2021</u>

(पूजा विश्वकर्मा)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 नं0–यू.पी. 1542